विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 2187

पारिशिष्ट - "अ"

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल

क्र. 4941/21-क (अप),

भोपाल, दिनांक 12-2016

प्रति,

महाधिवक्ता,

महाधिवक्ता, कार्यालय,

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,

जबलपुर, मध्यप्रदेश

विषय:- माननीय न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,मुलताई जिला बैतूल(म.प्र.) के दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक 134/ 2015 लोकेश विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन धारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(च)33-1(ए) 66(क) 69 म.प्र. वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 की धारा 2(घ) 5 एवं जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 3, 7 सहपठित धारा 55 के मामले में पारित आदेश दिनांक 20-09-2016 के विरूद्ध दांडिक पुनरीक्षण अपील प्रस्तुत किये जाने बावत्।

संदर्भ:- कार्यालय वन विभाग मत्रांलय भोपाल जिला भोपाल (म.प्र.) के.यू.ओ.क्रमांक 264/16, दिनांक 26-12-2016

---000---

राज्य शासन द्वारा उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 20-09-2016 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आज राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397,401 के अंतर्गत म0 प्र0 उच्च न्यायालय के समक्ष दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत करने की समुचित कार्यवाही करें। तथा कार्यवाही की सूचना शीघ्र विधि विभाग को प्रेषित करें।

संलग्न दस्तावेज :-

1- निर्णय की सत्य प्रतिलिपि,(की छाया प्रतियाँ)
2-लोक अभियोजक का मत,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार,

(Digitally Signed)

(रजनी पंचौली)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

Digitally Signed By
Rajani Pancholi
26 December 2016 02:31 PM

क्र 4041/21-क(आप),

भोपाल, दि. 2016

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार (न्यायिक) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र.)

2. कार्यालय वन विभाग मत्रांलय भोपाल (म.प्र.) के यू०ओ.क्रमांक 264/2016 दिनांक 20/12/2016 को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उपरोक्त प्रकरण में तत्काल प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति करें व प्रभारी अधिकारी को निर्देशित करें कि वे महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर से संपर्क कर विलम्ब का दिन-प्रतिदिन का कारण दर्शित करते हुए विलम्व माफी के आवेदन पत्र जो शपथपत्र से समर्थित हो सहित, पुनरीक्षण अपील प्रस्तुत करें और प्रकरण से संबंधित केस डायरी, साक्ष्य में ग्राह्य दस्तावेजों की प्रतिलिपियां, परीक्षित साक्षियों के कथन एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रकरण में पैरवी करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें और की गयी कार्यवाही से इस विभाग को सूचित करें। साथ ही भविष्य में भेजे जाने वाले अपील प्रस्ताव के साथ निर्णय एवं मत की दो प्रमाणित प्रतिलिपिया संलग्न कर आवश्यक रूप से इस विभाग को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

3. जिला दण्डाधिकारी बैतूल (म0प्र0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क कर पुनरीक्षण अपील प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करें तथा की गयी कार्यवाही की सूचना इस विभाग को भेजें

4. पुलिस अधीक्षक, बेतूल (म0प्र0) को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क कर पुनरीक्षण अपील प्रस्तुत कराया जाना सुनिश्चित करें तथा की गयी कार्यवाही की सूचना इस विभाग को भेजें।

5. आयुक्त नर्मदा पुरम संभाग नर्मदा पुरम को सूचनार्थ प्रेषित की संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(Digitally Signed)

(रजनी पंचौली)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

Digitally Signed By

Rajani Pancholi

26 December 2016 02:31 PM

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल